परिवाद संख्या /2019

श्रीमती गौरी साहा बनाम मैसर्स जे०के० गौर टाउनशिप प्रा० लि०

Computer No.1968/2019

19–07–2019

परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा मूल चैक, बैंक द्वारा चैक अनादरित होने के मेमो, नोटिस की प्रतिलिपि एवं रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत है। प्रस्तुत परिवाद समय सीमा के अन्दर है तथा वाद हेतुक उत्पन्न होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवादपत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत है। परिवाद मैसर्स जे०के० गौर टाउनशिप प्रा० लि० के डायरेक्टर के विरूद्ध संस्थित है तथा उसकी ओर से ही परिवादी के पक्ष में प्रश्नगत चेक निर्गत है। अतः धारा 141 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में मैसर्स जे०के० गौर टाउनशिप प्रा० लि० के साथ ही उसके डायरेक्टर की हैसियत से अभियुक्त जे० के० गौर के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है तथा अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत मामले का परिवादपत्र के आधार पर संज्ञान लिया जाता है। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त मैसर्स जे०के० गौर टाउनशिप प्रा० लि० के साथ ही उसके डायरेक्टर की हैसियत से अभियुक्त जे० के० गौर को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विचारण हेतु जरिये समन दिनांक 20.08.2019 के लिए तलब किया जाता है। परिवादी परिवादपत्र की प्रतिलिपि के साथ अविलम्ब पैरवी करे।

अपर सिविल जज (सी.डि)
कोर्ट संख्या 3,गाजियाबाद ।